राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

S.B. Civil First Appeal No. 27/2017

Abdul Salam & Anr.
Vs.
Mohammed Hanif & Anr.

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री महेन्द्र गोयल।
प्रत्यर्थी संख्या–1 के अधिवक्ता श्री स्वराज पंवार की ओर से श्री लाजपत राय।

:: आदेश :: **11.01.2017**

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व इस अपील में उठाये गये कानूनी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अपील को सुनवाई हेतु विचारार्थ ग्रहण किया जाता है।

शेष प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी हो।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी एक सप्ताह में पी एफ नोटिस पेश करे, जो पेश होने पर नोटिस आगामी चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी हो।

अभिलेख तलब हो।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के स्थगन पर सुना गया।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन रहा कि अधीनस्थ न्यायालय से अन्तिम डिक्री के क्रम में नोटिस जारी हो चुके हैं, अतः स्थगन आदेश पारित किया जाए।

मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय, अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–3, अजमेर द्वारा दीवानी वाद संख्या 95/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 07.

11.2016 के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री पारित किये जाने के आदेश पर आगामी सुनवाई तिथि तक रोक लगाई जाती है।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/–